रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1183] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2017/वैशाख 8, 1939
No. 1183] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, .24 अप्रैल, 2017

का.आ. 1343(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्रहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और जबकि भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राज्य सरकारों, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों अथवा संगठनों (जिन्हें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल ताड़ मिशन (एनएमओओपी) की केंद्रीय प्रयोजित स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) प्रशासित कर रही है, जिसका उद्देश्य स्कीम के दो घटकों अर्थात् (i) क्षेत्र विस्तार नियोजनक सामग्री तथा (ii) उत्पादन नियोजक सामग्री पर किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को अनुदान (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) प्रदान करके तिलहनों तथा वनस्पतिक तेलों का उत्पादन बढ़ाना है।

और जबकि कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से लाई गई उपर्युक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से व्यय अन्तर्वलित है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :–

1. (1) इस स्कीम के अंतर्गत फायदे का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यक रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान को जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, को 31 मई, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकता है।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय में ही स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग लाभार्थियों को आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएगें, जिन्हें अभी आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय अथवा स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान कराएगें।

जब तक किसी व्यक्ति को आधार समनुदेशित नही किया जाता, तब तक ऐसे व्यक्ति को उक्त स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :–

(क) (i) यदि उसने आधार नामांकरण के लिए पंजीकरण कराया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप , अथवा

(ii) लाभार्थी द्वारा पैरा–2 के उप पैरा (2) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रतिलिपि, और

(ख) (i) बैंक पासबुक; अथवा डाकघर की फोटो सहित पास बुक; (ii) मतदाता पहचान पत्र; अथवा ((iii) पैन कार्ड ,अथवा (iv) पास पोर्ट अथवा (v) मोटर अधिनियम; 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (vi) राशन कार्ड; अथवा (vii) मनरेगा कार्ड, अथवा (viii) किसान फोटो पास बुक (ix) सरकारी लैटर हैड पर किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र, अथवा (x) राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज :

इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदभिहित अधिकारी द्वारा उपयुक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी ।

2. इस योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक व बाधामुक्त लाभ प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग निम्नलिखित सुविधाओं सहित सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगें–

(क) इस योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यता के बारे में आवेदकों अथवा लाभार्थियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया व व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार औरयदि उन्होंने अभी तक नामांकन नहीं करवाया है तो उन्हें 31 मई, 2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्र पर स्वयं का नामांकन करवाने की सलाह दी जाए और उनके स्थानीय क्षेत्रों में आधार नामाकंन केन्द्रों की सूची (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि किसी ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका के किसी क्षेत्र में आस–पास नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण लाभार्थी द्वारा नामांकन करवा पाने में असमर्थ है तो कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकारों अथवा मंत्रालय द्वारा उत्तरदायी संबंधित विभाग से सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अथवा वेब–पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार अथवा मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पदाभिहित संबंधित अधिकारियों को अपना नाम,पता व मोबाइल नंबर और पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर आधार नामांकन के लिए रजिस्टर का लाभार्थी से अनुरोध किया जाए।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 2–5/2015 सी ए.– II]

डॉ. बी. राजेन्दर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

(OILSEEDS DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2017

S.O. 1343(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the Centrally Sponsored Scheme of National Mission on Oilseeds and Oil Palm (NMOOP) (hereinafter referred to as the Scheme) which is implemented by the specified State Governments and also by the Ministry through its empanelled agencies such as National or International Institutes and Organizations (hereinafter referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, the Scheme aims at increasing production of oilseeds and vegetable oils by providing inputs subsidy (hereinafter referred to as the benefits) to the farmers (hereinafter referred to as the beneficiaries) under two components of the Scheme, namely, (i) Areas Expansion Inputs and (ii) Production Inputs;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A farmer eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any farmer desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st May 2017 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or the Ministry itself through its Implementing Agencies, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or the Ministry itself through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter ID Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) MGNREGS Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry or the State Government;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the States or the Ministry itself through its Implementing Agencies, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31st May 2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible

for implementation of the Scheme in the States or the Ministry itself through its Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or the Ministry through its Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 2-5/2015-CA-II]

Dr. B RAJENDER, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.05.02 15:25:31 +05'30'